

केंद्र सरकार और यूआईडीएआई ने स्पष्टीकरण जारी किया

# आधार से जारी मोबाइल नंबर को बंद नहीं करेंगे

## आश्वासन

नई दिल्ली | एजेसी

आधार के सत्यापन के जरिये जारी हुए मोबाइल नंबर बंद नहीं होंगे। केंद्र सरकार और आधार जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने गुरुवार को इस बारे में स्पष्टीकरण जारी किया।

दोनों ने संयुक्त बयान में कहा कि आधार से जारी हुए मोबाइल नंबर बंद होने की खबरें गलत हैं और इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। बयान में कहा गया कि सरकार ग्राहकों पर पुनः सत्यापन का दबाव नहीं डालेगी और पुनः सत्यापन तभी किया जाएगा जब कोई ग्राहक अपने आधार विवरण को किसी दूसरे पहचान पत्र या वैध पता प्रमाण पत्र से बदलेगा।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार ई-केवाईसी (ग्राहक को जानो) के जरिये नए सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। हालांकि, पुराने नंबरों का कनेक्शन रद्द करने के कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं।

दोनों विभागों ने कहा कि जो नंबर आधार ईकेवाईसी के जरिये जारी हुए हैं, उन्हें बंद करने का कोई निर्देश नहीं है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि जिन ग्राहकों ने आधार से मोबाइल

## आधार डीलिक कराने वालों को कराना होगा सत्यापन

दोनों विभागों ने कहा है कि अदालती फैसले के मद्देनजर यदि कोई ग्राहक अपने आधार ईकेवाईसी को नये केवाईसी से बदलवाना चाहता है तो वह नए वैध दस्तावेज जमा करके आधार को डी-लिक करने का सेवा देने वाली कंपनी से अनुरोध कर सकता है। यूआईडीएआई ने न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए दूरसंचार कंपनियों को 15 अक्टूबर का समय दिया है और अपनी सेवाओं के लिये आधार आधारित सत्यापन को बंद करने के लिये कहा है।



**50** करोड़ से ज्यादा नंबर आधार केवाईसी से जारी हुए, 50 फीसदी से ज्यादा

**15** अक्टूबर तक था समय कंपनियों के लिए ई-केवाईसी की नई प्रक्रिया के लिए

## दूरसंचार कंपनियों को डाटा हटाने का निर्देश नहीं

बयान में साफ किया गया है कि अदालत ने दूरसंचार कंपनियों को फैसले के छह माह के भीतर ई-केवाईसी डाटा हटाने को नहीं कहा है। यह कहा है कि यूआईडीएआई को सत्यापन से जुड़ा डाटा छह माह से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। लिहाजा डाटा संबंधी अंकुश यूआईडीएआई पर है, न कि दूरसंचार कंपनियों पर।

## एप से सिम कार्ड की नई प्रक्रिया पर काम जारी

यूआईडीएआई ने कहा, दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर मोबाइल एप के जरिये सिम कार्ड जारी करने की नई प्रक्रिया पर काम हो रहा है। यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुरूप होगी। इसमें एप से ही ग्राहक की लाइव फोटो ली जाएगी। साथ ही आधार कार्ड, वोटर आईडी जैसे पहचानपत्र भी लिए जाएंगे।

कनेक्शन लिया है उन्हें केवाईसी विवरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिये नए दस्तावेज देने पड़ सकते हैं क्योंकि न्यायालय ने अपने फैसले में निजी

कंपनियों को आधार आधारित सत्यापन करने से रोक दिया है। सरकार के इस कदम से ग्राहकों का भ्रम दूर हो गया है।